भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3310
13 मार्च, 2020 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

**एड्स की व्याप्तता**

3310. श्री [illegible]
श्री वाई॰ देवेन्द्रप्पाः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल के अनुसार देश म महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश म एड्स की व्याप्तता दूसरे स्थान पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एड्स रोगियों की उच्च संख्या वाले आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कनाटक और तेलंगाना पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष प्रयास किए जा रहे ह; और

(घ) समाज म एड्स/एचआईवी ग्रस्त रोगियों के साथ भेदभाव नहीं हो और देखभाल एवं उपचार हेतु एचआईवी रोगियों का पता लगाना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ह?

उत्तर:

स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवधन)

(क) और (ख) जी नहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 के अनुसार आंध्र प्रदेश का 0.41 एचआईवी व्याप्ता के साथ 8वाँ स्थान रहा है तथा महाराष्ट्र का 0.26 एचआईवी व्याप्ता के साथ 17वां स्थान रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाईल 2019 के अनुसार एचआईवी/ एड्स के राज्यवार आकड़े अनुलग्नक- I मे दिए गए ह।

(ग) भारत म एचआईवी/ एड्स की रोकथाम एंव नियत्रंण के लिए राष्ट्रीय एड्स नियत्रंण कायक्रम (एनएसीपी) स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मत्रांलय की कद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, जिसम सभी राज्यों को तकनीकी, वित्तीय और वस्तुगत सहयोग प्रदान किया जाता है।

आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कनाटक और तेलंगाना मे उनकी जनसंख्या और एचआईवी/ एड्स व्याप्ता की वजह से अधिक एचआईवी ( पीएलएचआईवी ) पीड़ित लोग रहते ह और इसलिए ये एचआईवी/ एड्स हेतु परीक्षण और संक्रमित व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क एंटी रेट्रो वायरल उपचार की व्यवस्था हेतु सुविधा कद्रों, मदों और जनशक्ति की संख्या के संदभ म आनुपातिक रुप से उच्चतर सहयोग

प्राप्त कर रहे है। ऐसे क्षेत्र जहा महामारी विज्ञान को दृष्टि से यह इंगित किया जाता है कि वहां विशेष प्रयास अपेक्षित है, वहाँ एनएसीपी म व्यापक कारवाई शुरु को जाती है।

कायात्मक प्रयासों का राज्य वार व्यौरा अनुलग्नक- II और III पर दिया गया है।

(घ) सरकार एचआईवी/ एड्स पीड़ित लोगों के कंलक एंव भेदभाव के समाधान हेतु मॉस मीडिया, आऊट- डोर तथा लोक मीडिया के माध्यम से 360 डिग्री मल्टीमीडिया अभियान चलाती है।

एचआईवी और एड्स ( रोकथाम और नियत्रंण ) अधिनियम, 2017 रोजगार एंव व्यवसाय, स्वास्थ्य परिचया सेवाओं म अनुचित व्यवहार, शैक्षणिक संस्थाओं और सेवाओं म अनुचित व्यवहार के संबंध म किसी भी प्रकार के भेदभाव को भी निषेध करता है। अधिनियम म एचआईवी/ एड्स पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध किसी भेदभाव तथा गोपनीयता भंग के लिए भी दण्डात्मक प्रावधान  है।

एचआईवी निदान के माध्यम से परिचया और उपचार हेतु रोगियों को ट्रेंकिग के लिए एक ऑनलाईन साफ्टवेयर प्लेटफाम भी उपलब्ध है।

[illegible] एएनसी क्लिनिक म आने वाले लोगों [illegible] व्याप्तता स्[illegible] ([illegible]- 2017) [illegible]/ [illegible] राज्य क्षेत्र वार [illegible]

| क्र. [illegible] | राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम | व्याप्तता |
|---|---|---|
| 1 | [illegible] | 1.19 |
| 2 | [illegible] | 0.82 |
| 3 | [illegible] | 0.73 |
| 4 | त्रि[illegible] | 0.56 |
| 5 | [illegible] | 0.5 |
| 6 | [illegible] | 0.47 |
| 7 | [illegible] | 0.44 |
| 8 | **[illegible] प्र[illegible]** | **0.41** |
| 9 | [illegible] | 0.38 |
| 10 | दिल्ली | 0.38 |
| 1 1 | [illegible] | 0.38 |
| 12 | [illegible] | 0.35 |
| 13 | [illegible] | 0.29 |
| 14 | [illegible] | 0.28 |
| 15 | [illegible] | 0.28 |
| 16 | [illegible] | 0.27 |
| 17 | [illegible]ष्ट्र | **0.26** |
| 18 | उत्तर प्रदेश | 0.22 |
| 19 | [illegible] | 0.18 |
| 20 | [illegible] | 0.16 |
| 21 | [illegible] | 0.14 |
| 22 | [illegible] | 0.13 |
| 23 | [illegible] | 0.13 |
| 24 | [illegible] प्र[illegible] | 0.11 |
| 25 | [illegible] | 0.11 |
| 26 | [illegible] प्र[illegible] | 0.09 |
| 27 | [illegible] | 0.08 |
| 28 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.06 |
| 29 | [illegible] | 0.05 |
| 30 | [illegible] | 0.05 |
| 31 | जम्मू और कश्मीर | 0.02 |
| 32 | [illegible] प्र[illegible] | 0 |
| 33 | [illegible] | 0 |
| 34 | [illegible] | 0 |
| 35 | [illegible] | 0 |

[illegible]:- कद्रीय स्वास्थ्य [illegible] ब्यूरों, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय द्वार प्रकाशित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रो[illegible] 2019

[illegible]-II

**एचआईवी परामश और परीक्षण सेवाओं ( HCTS) [illegible]**

| [illegible] / [illegible] क्षेत्र | [illegible] * | | | |
|---|---|---|---|---|
| | [illegible] स्क्रीनिंग | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 102 | 228 | 1425 | 180 |
| [illegible] | 3 | 473 | 2419 | 413 |
| [illegible]ष्ट्र | 126 | 575 | 2597 | 1426 |
| [illegible] | 102 | 807 | 1800 | 209 |
| [illegible] | 58 | 179 | 671 | 129 |

* [illegible] 2020 [illegible]

**[illegible]- III**

**[illegible] केंद्रों [illegible]**

| [illegible]ज[illegible] | [illegible] केंद्रों [illegible] [illegible]ख[illegible] | [illegible] [illegible] केंद्रों [illegible] [illegible]ख[illegible] | [illegible] [illegible]न्द्रों [illegible] [illegible]ख[illegible] |
|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 40 | 118 | 23 |
| महाराष्ट्र | 72 | 194 | 45 |
| [illegible] | 55 | 174 | 31 |
| [illegible] | 22 | 76 | 13 |
| [illegible] | 65 | 313 | 36 |

* [illegible] 2020 [illegible]